# प्रत्येक बच्चे को जीवन जीने, विकास, संरक्षण और भागीदारी का अधिकार है

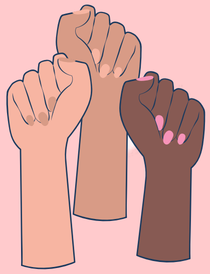

## फिर भी कई बच्चे अपने इन मूलभूत अधिकारों का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं

**ईंट भट्ठों में काम करने वाले मज़दूरों के बच्चे कई मायनों में ऐसी चुनौतियों का सामना करते हैं**

## ऐसी परिस्थिति  में क्या किया जा सकता है?

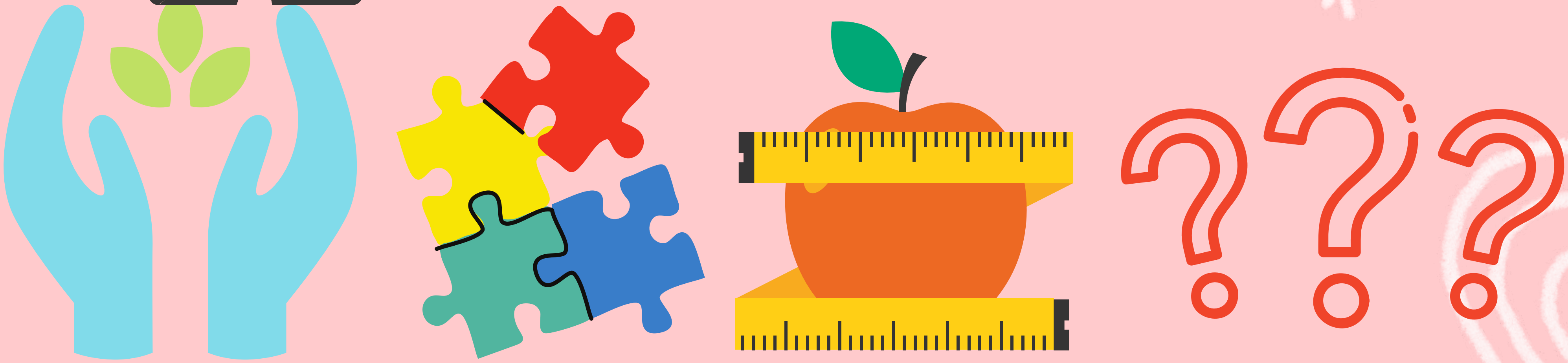

**इस श्रृंखला में सबसे पहले केन्द्र सरकार की उन योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में समझते हैं जो कि ईंट भट्ठों में काम करने वाले प्रवासी गर्भवती महिलाओं व स्तनपान कराने वाली माताओं और उनके 0-6 साल आयु वर्ग के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण से समबंधित हैं**

हक़: सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स, बी-1/2, ग्राउन्ड फ्लोर, मालवीय नगर, नई दिल्ली- 110017;
फोन: 011-2664772, ईमेल: info@haqcrc.org; वेब: www. haqcrc.org

HAQ Centre for Child Rights

## शुरू करते हुए, आइए जानते हैं बच्चों की प्रारम्भिक देखभाल एवं विकास से संबंधित भारत सरकार की एक मुख्य योजना के बारे में

# समेकित बाल विकास परियोजना (आई सी डी एस)

**इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य:**

- 0-6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना;
- बच्चों के समुचित शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विकास की नींव रखना;
- बच्चों के प्रारम्भिक जीवन चक्र में मृत्यु दर, रुग्णता, कुपोषण और स्कूल छोड़ने जैसी समस्याओं को कम करना;
- बच्चों के समुचित विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच प्रभावी समन्वय प्राप्त करना;
- बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से माताओं की क्षमता में वृद्धि करना

## आईसीडीएस से कौन-कौन लाभान्वित हो सकता है?

- 0-6 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चे
- गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं
- स्थानीय और प्रवासी दोनों के लिये

## इस योजना में सार्वभौमिक कवरेज है

हक़: सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स, बी-1/2, ग्राउन्ड फ्लोर, मालवीय नगर, नई दिल्ली- 110017;
फोन: 011-2664772, ईमेल: info@haqcrc.org; वेब: www. haqcrc.org

HAQ Centre for Child Rights

## मैं एक गर्भवती/स्तनपान कराने वाली महिला हूँ । मैं आईसीडीएस के माध्यम से किन सेवाओं का लाभ उठा सकती हूँ ?

- **बच्चे के जन्म के 6 महीने बाद तक** सुबह के नाश्ते के रूप में दूध/केला/अंडा/मौसमी फल इत्यादि पोषक तत्वों से भरपूर भोजन और उसके बाद ताज़ा गरम पकाया हुआ भोजन
- पहले से तैयार किया हुआ मिश्रण/घर ले जाने के लिये तैयार राशन
- आयरन और विटामिन "ए" की गोलियाँ (आईएफए टैबलेट) [केवल गर्भवती महिलाओं के लिए]

एएनएम/महिला स्वास्थ्य कर्मचारी सभी बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं की जाँच के लिए महीने में कम से कम एक बार प्रत्येक आँगनवाड़ी केंद्र का दौरा करती हैं। आँगनवाड़ी कार्यकर्ता ऐसे बच्चों और महिलाओं की पहचान करने में एएनएम की सहायता करती है।

## मेरा 3 साल तक का एक बच्चा/ बच्ची है। क्या उसे भी आईसीडीएस के तहत लाभ मिल सकता है?

✔ हाँ

- पहले से तैयार किया हुआ मिश्रण/घर ले जाने के लिये तैयार राशन

हक़: सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स, बी-1/2, ग्राउन्ड फ्लोर, मालवीय नगर, नई दिल्ली- 110017;
फोन: 011-2664772, ईमेल: info@haqcrc.org; वेब: www. haqcrc.org

HAQ Centre for Child Rights

## मेरा 6 साल तक का एक बच्चा/ बच्ची है। क्या उसे भी आईसीडीएस के तहत लाभ मिल सकता है?

**साल के 300 दिनों तक,** सुबह के नाश्ते के रूप में दूध/केला/अंडा/मौसमी फल इत्यादि पोषक तत्वों से भरपूर भोजन और उसके बाद ताज़ा गरम पकाया हुआ भोजन

पहले से तैयार किया हुआ मिश्रण/घर ले जाने के लिए तैयार राशन **[केवल गंभीर रूप से कम वज़न वाले बच्चों के लिए]**

एएनएम/महिला स्वास्थ्य कर्मचारी सभी बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं की जांच के लिए महीने में कम से कम एक बार प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र का दौरा करती हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ऐसे बच्चों और महिलाओं की पहचान करने में एएनएम की सहायता करती है।

## जब मैं ईंट भट्ठे पर काम करने के लिए बाहर हूँ, तो क्या मेरा 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भी निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र में शिक्षा प्राप्त कर सकता है?

**हाँ**

आँगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा आँगनवाड़ी केंद्र में प्री-स्कूल शिक्षा प्रदान की जाती है जिसमें गैर-औपचारिक शिक्षा और रचनात्मक खेल गतिविधियाँ शामिल हैं। यह शिक्षा केवल 3 से 6 वर्ष के बच्चों को ही प्रदान की जाती है

हक़: सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स, बी-1/2, ग्राउन्ड फ्लोर, मालवीय नगर, नई दिल्ली- 110017;
फोन: 011-2664772, ईमेल: info@haqcrc.org; वेब: www. haqcrc.org
HAQ Centre for Child Rights

# मैं आईसीडीएस के तहत सेवाओं का लाभ कैसे उठा सकता/ सकती हूँ ?

नज़दीकी आँगनवाड़ी केंद्र पर जाएँ

केंद्र में आँगनवाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क करें

आँगनवाड़ी कार्यकर्ता आपके विवरण को अपने रजिस्टर में लिखेगी और आपको उपलब्ध सेवाओं के बारे में सूचित करेगी जो आप प्राप्त कर सकते हैं

# आईसीडीएस के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए मुझे किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?

लाभार्थी का आधार कार्ड

हक़: सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स, बी-1/2, ग्राउन्ड फ्लोर, मालवीय नगर, नई दिल्ली- 110017;
फोन: 011-2664772, ईमेल: info@haqcrc.org; वेब: www. haqcrc.org
HAQ Centre for Child Rights

**मैं एक प्रवासी श्रमिक हूँ और मैं अपने ईंट भट्ठे पर अपना आधार कार्ड लेकर नहीं आई हूँ। क्या मैं फिर भी आईसीडीएस के तहत सेवाओं का लाभ उठा सकती हूँ?**

**नहीं। आईसीडिएस के अंतर्गत सेवाओं का लाभ प्राप्त करने के लिये आधार कार्ड का होना अनिवार्य है**

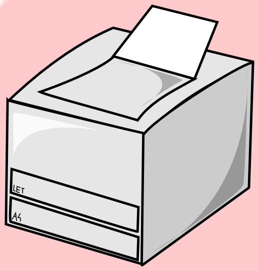

**इसीलिए यह ज़रूरी है कि आप कम से कम अपने आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी अपने साथ जरूर रखें। आधार कार्ड की प्रति/ फोटोकॉपी नज़दीकी आँगनवाड़ी केंद्र पर जमा करने पर हीं आप आईसीडीएस की सेवाओं का लाभ प्राप्त कर पाएंगे**

**मेरा आधार कार्ड नहीं बना है और मैं किसी अन्य राज्य में एक ईंट भट्ठे पर काम कर रहा/ रही हूँ, क्या मैं तब भी आईसीडीएस के तहत सेवाओं का लाभ उठा सकता/सकती हूँ?**

**नहीं। आईसीडिएस के अंतर्गत सेवाओं का लाभ प्राप्त करने के लिये आधार कार्ड का होना अनिवार्य है**

हक़: सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स, बी-1/2, ग्राउन्ड फ्लोर, मालवीय नगर, नई दिल्ली- 110017;
फोन: 011-2664772, ईमेल: info@haqcrc.org; वेब: www. haqcrc.org

HAQ Centre for Child Rights

**मेरे बच्चे/बच्ची, जिसकी उम्र 5 साल से कम है, के पास आधार कार्ड नहीं है। क्या आईसीडीएस का लाभ उठाने के लिए उसका आधार कार्ड बनाया जा सकता है?**

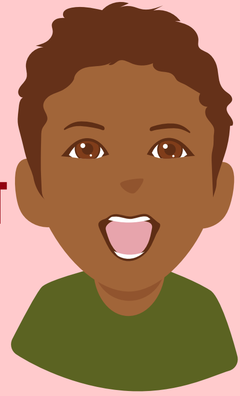

**जहाँ बच्चों की उम्र 5 साल से कम हो, उनके आधार कार्ड का पंजीकरण उनके माता के आधार कार्ड के साथ जोड़ा जाता है। इस पंजीकरण की प्रक्रिया के बाद, 5 साल से कम उम्र के बच्चे भी आईसीडीएस का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।**

**मैं एक गर्भवती प्रवासी श्रमिक हूँ और मेरी एक पाँच साल की बच्ची भी है। मेरे पास सभी ज़रूरी दस्तावेज हैं, लेकिन मेरे पास के आँगनवाड़ी केंद्र ने मुझे और मेरे बच्चे को आईसीडीएस योजना के तहत पंजीकृत करने से इनकार कर दिया। मैं कहाँ शिकायत करूँ ?**

**आप आँगनवाड़ी सुपरवाइज़र से शिकायत कर सकते हैं।**

**या**

**आप अपने प्रखंड कार्यालय में बाल विकास परियोजना अधिकारी से भी शिकायत कर सकते हैं।**

हक़: सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स, बी-1/2, ग्राउन्ड फ्लोर, मालवीय नगर, नई दिल्ली- 110017;
फोन: 011-2664772, ईमेल: info@haqcrc.org; वेब: www. haqcrc.org

# मैं ईंट भट्ठा मालिक/ठेकेदार हूँ। मैं अपने ईंट भट्ठे के प्रवासी श्रमिकों को आईसीडीएस के तहत लाभ उठाने में कैसे मदद कर सकता हूं?

अधिकांश ईंट भट्ठा प्रवासी श्रमिक अपने मूल राज्यों के भीतर या बाहर कार्यस्थल की यात्रा करते समय नुकसान या चोरी के डर से महत्वपूर्ण दस्तावेज नहीं रखते हैं।

श्रमिकों को अपने और अपने परिवार के सदस्यों के आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र या अन्य पहचान पत्र इत्यादि हमेशा अपने साथ रखने के लिए कहें

यदि असली दस्तावेज़ नहीं रख सकते तो दस्तावेज़ों प्रति या फोटोकॉपी अपने साथ रखने के लिये जरूर कहें

जिनके पास स्मार्ट फोन हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण दस्तावेजों की तस्वीर भविष्य में इस्तेमाल के लिए फोन में सुरक्षित की जा सकती है।

एक छोटी निर्देशिका बनाएँ जिसमें कुछ ज़रूरी फोन नंबर और पते शामिल हों :

- निकटतम आँगनवाड़ी केंद्र
- आपके क्षेत्र की आँगनवाड़ी कार्यकर्ता और आँगनवाड़ी सहायिका
- आपके क्षेत्र के आँगनवाड़ी पर्यवेक्षक
- आपके प्रखंड के बाल विकास परियोजना अधिकारी
- ग्राम स्तरीय स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति (वीएचएसएनसी) के सदस्यों की सूची और उनके फोन नंबर

हक़: सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स, बी-1/2, ग्राउन्ड फ्लोर, मालवीय नगर, नई दिल्ली- 110017;
फोन: 011-2664772, ईमेल: info@haqcrc.org; वेब: www. haqcrc.org